POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 22.02.2023

1-थाना फेस-1 नोएडा पुलिस द्वारा, नोएडा व दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में लूट/चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अन्तर्राज्यीय शातिर लुटेरे गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, लूट के 04 मोबाइल फोन व 02 अवैध तमंचे मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद।

दिनांक 21.02.2023 को थाना फेस-1 नोएडा पुलिस द्वारा, नोएडा व दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में लूट की घटना कारित करने वाले 02 अन्तर्राज्यीय शातिर लुटेरे 1.राजा पुत्र राजकुमार निवासी शिव मंदिर भारती पब्लिक स्कूल के पास, न्यू कोण्डली, दिल्ली 2.रितिक पुत्र दिलीप निवासी गली नं0-2, दल्लुपुरा, थाना न्यू अशोक नगर, दिल्ली को हुण्डई शोरूम के गेट के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल स्पेलन्डर नं0 डीएल 5 एससीके 6780, लूट के 04 मोबाइल फोन व 02 अवैध तमंचे मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुए है। अभियुक्तों द्वारा उक्त मोबाइल फोन भिन्न-भिन्न स्थानों से लूटना बताया तथा कुछ अन्य मोबाइल थाना फेस-1 क्षेत्र से छीनना बताया जिनके सम्बन्ध में 1.मु0अ0सं0 102/2023 धारा 392 भादवि थाना फेस-1, नोएडा 2.मु0अ0सं0 39/2023 धारा 392 भादवि थाना फेस-1, नोएडा 3.मु0अ0सं0 596/2022 धारा 392 भादवि थाना फेस-1, नोएडा व 4.मु0अ0सं0 493/2023 धारा 392 भादवि थाना सेक्टर-20, नोएडा पर पंजीकृत है।

अपराध करने की तरीकाः

दोनों अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जो नोएडा व दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में लूट की घटनायें कारित करते है। अभियुक्त लूट की घटनायें कारित करने के लिये चोरी की मोटरसाइकिल का प्रयोग करते है तथा 10-15 दिन बाद उक्त मोटरसाइकिल को सस्ते दामो में बेच देते है तथा एक अन्य मोटरसाइकिल चोरी करके उस पर सवार होकर लूट की घटनायें कारित करते है। अभियुक्त, लूट की घटनायें कारित करते समय महिलाओं व वृद्ध व्यक्तियों को अपना शिकार बनाते है तथा सड़क पर चलते लोगो से उनका मोबाइल फोन छीनकर मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग जाते है।

अभियुक्तों का विवरणः

1.राजा पुत्र राजकुमार निवासी शिव मंदिर भारती पब्लिक स्कूल के पास, न्यू कोण्डली, दिल्ली।

2.रितिक पुत्र दिलीप निवासी गली नं0-2, दल्लुपुरा, थाना न्यू अशोक नगर, दिल्ली।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरणः

अभियुक्त राजा

1.मु0अ0सं0 102/2023 धारा 392/414 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर।

2.मु0अ0सं0 39/2023 धारा 392 भादवि थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर।

3.मु0अ0सं0 596/2022 धारा 392 भादवि थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर।

4.मु0अ0सं0 493/2023 धारा 392 भादवि थाना सेक्टर-20, गौतमबुद्धनगर।

5.मु0अ0सं0 025464/22 धारा 379/411/34 भादवि थाना अशोक नगर, दिल्ली।

6.मु0अ0सं0 524/21 धारा 33 दिल्ली आब0 अधि0 थाना अशोक नगर, दिल्ली।

7.मु0अ0सं0 448/21 धारा 33 दिल्ली आब0 अधि0 थाना अशोक नगर, दिल्ली।

8.मु0अ0सं0 410/21 धारा 33 दिल्ली आब0 अधि0 थाना अशोक नगर, दिल्ली।

अभियुक्त रितिक

1.मु0अ0सं0 102/2023 धारा 392/414 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर।

2.मु0अ0सं0 39/2023 धारा 392 भादवि थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर।

3.मु0अ0सं0 596/2022 धारा 392 भादवि थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर।

4.मु0अ0सं0 493/2023 धारा 392 भादवि थाना सेक्टर-20, गौतमबुद्धनगर।

5.मु0अ0सं0 539/21 धारा 380/34 भादवि थाना गाजीपुर, दिल्ली।

6.मु0अ0सं0 21200/2018 धारा 379/411/34 भादवि थाना न्यू अशोक नगर, दिल्ली।

7.मु0अ0सं0 570/18 धारा 411/414 भादवि थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरणः

1.चोरी की 01 मोटरसाइकिल स्पेलन्डर नं0 डीएल 5 एससीके 6780

2.लूट के 04 मोबाइल फोन

3.02 अवैध तमंचे मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर

2-थाना नॉलेजपार्क पुलिस व स्वाट टीम द्वारा अवैध गांजा की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 539.600 किलोग्राम अवैध गांजा(कीमत करीब 01 करोड़ 20 लाख रुपये) व तस्करी मे प्रयुक्त आइशर कैंटर बरामद।

<u>पुलिस उपायुक्त ग्रेटर नोएडा द्वारा गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु 20,000 रुपए के इनाम की घोषणा की गई।</u>

दिनांक 22.02.2023 को थाना नॉलेजपार्क पुलिस व स्वाट टीम द्वारा अवैध गांजा की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त 1.रतन सिंह पुत्र राजवीर सिंह निवासी ग्राम हसनपुर, थाना हाफिजपुर, जिला हापुड़ 2.सदाशिव मिश्रा उर्फ बुल्लु पुत्र कृष्णचन्द्र मिश्रा निवासी ग्राम मैदिनपुर, थाना कोदोला, जिला गंजम, उडीसा को थाना क्षेत्र के सेक्टर-150 कट से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से कुल 539.600 किलोग्राम अवैध गांजा(कीमत करीब 01 करोड़ 20 लाख रुपये) व तस्करी मे प्रयुक्त आइशर कैंटर रजि नं0 एचआर 55 एस 3799 बरामद किया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना नॉलेजपार्क पर मु0अ0सं0 031/2023 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है।

घटनाक्रमः

अभियुक्त शातिर किस्म के गांजा तस्कर है जो उडीसा राज्य से अवैध गांजा की तस्करी कर लुधियाना, नोएडा, दिल्ली, एनसीआर क्षेत्र में गांजा तस्करी करते है। अभियुक्तों द्वारा आइशर कैन्टर गाड़ी में कैबिन के पीछे बोडी में बनायी गयी गुप्त केबिन/स्पैस में गांजा रखकर तस्करी की जाती है। अभियुक्त रत्न सिंह थाना बीटा 2 से मु0अ0सं0 042/2023 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस उपायुक्त ग्रेटर नोएडा द्वारा 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था।

अभियुक्तों का विवरणः

1.रतन सिंह पुत्र राजवीर सिंह निवासी ग्राम हसनपुर, थाना हाफिजपुर, जिला हापुड़।

2.सदाशिव मिश्रा उर्फ बुल्लु पुत्र कृष्णचन्द्र मिश्रा निवासी ग्राम मैदिनपुर, थाना कोदोला, जिला गंजम, उडीसा।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरणः

<u>अभि0 रतन सिंह</u>

1.मु0अ0सं0 031/2023 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट थाना नॉलेजपार्क, गौतमबुद्धनगर।

2.मु0अ0सं0 042/2023 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।

<u>अभि0 सदाशिव मिश्रा</u>

1.मु0अ0सं0 031/2023 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट थाना नॉलेजपार्क गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरणः

कुल 539 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा(कीमत करीब 01 करोड़ 20 लाख रुपये) मय अवैध गांजा तस्करी मे प्रयुक्त आइशर कैंटर रजि नं0 एचआर 55 एस 3799

3-थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस द्वारा, फर्जी कम्पनी खोलकर लोगों को लोन व एयरलाईन में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रूपये की ठगी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 13 डेस्कटॉप कम्प्यूटर, 01 लैपटाप, 31 मोबाइल फोन, 11 डेबिट कार्ड, 52,000 रूपये नगद, 11 सिम कार्ड, 02 गाड़ियां(सीजशुदा), 03 रजिस्टर, 23 डायरी, 15 फर्जी लोन अपरुवल प्रमाण पत्र/अग्रीमेन्ट/भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की रशीद की छायाप्रति बरामद।

दिनांक 21/02/2023 को थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस द्वारा, घटनास्थल डी-215 बिल्डिंग सेक्टर-63 के तृतीय तल पर ऑफिस नम्बर टी-4, थाना सेक्टर-63 नोएडा से फर्जी कम्पनी खोलकर लोगों को लोन व एयरलाईन में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रूपये की ठगी करने वाले 02 अभियुक्त 1-योगेश शर्मा पुत्र हरेन्द्र शर्मा निवासी ग्राम-खेडा धर्मपुरा, छपरौला, थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर 2-चन्दन कुमार पुत्र चन्द्रेशवर प्रसाद निवासी ग्राम मांझी, थाना मांझी, जिला छपरा, बिहार वर्तमान पता साझी पब्लिक स्कूल के पास, चोटपुर कॉलोनी, थाना सेक्टर-63 को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 13 डेस्कटॉप कम्प्यूटर, 01 लैपटॉप लेनोवो कम्पनी, 31 मोबाइल फोन, 11 डेबिट कार्ड, 52,000 रूपये नगद, 11 सिम कार्ड, दो गाड़ियां टीयूीव-300 रंग काला रजि0 नं0 यूपी 14 डीएम 8103 व आई-20 रंग सफेद रजि0 नं0 यूपी 16 सीक्यू 6897(सीजशुदा), 03 रजिस्टर, 23 डायरी, 15 फर्जी लोन अपरुवल प्रमाण पत्र /अग्रीमेन्ट/भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की रशीद की छायाप्रति मय चिटबन्दी बरामद की गई है जिसके सम्बन्ध में थाना सेक्टर-63 पर मु0अ0सं0 91/23 धारा 420, 406, 467, 468, 471 भादवि व 66 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया है।

घटना क्रमः

अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि लोगों को फोन करके लोन देने व एयरलाईन मे नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों रूपये ठगी करते थे तथा ये जो हमसे गाड़ियां मिली है यह गाड़िया भी लोगों से धोखाधड़ी करके जो पैसे मिले थे उन्हे से खरीदी गयी है। तथा जब से जेवर में एयरपोर्ट स्थापित हुआ है तब से हम लोग जेवर एयरलाईन में नौकरी दिलाने के नाम पर काफी ठगी कर रहे थे।

अभियुक्तों का विवरणः

1-योगेश शर्मा पुत्र हरेन्द्र शर्मा निवासी ग्राम-खेडा धर्मपुरा, छपरौला, थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर

2-चन्दन कुमार पुत्र चन्द्रेशवर प्रसाद निवासी ग्राम मांझी, थाना मांझी, जिला छपरा, बिहार वर्तमान पता साझी पब्लिक स्कूल के पास, चोटपुर कॉलोनी, थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः

मु0अ0सं0 91/23 धारा 420, 406, 467, 468, 471 भादवि व 66 आईटी एक्ट थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरणः

1.13 डेस्कटॉप कम्प्यूटर

2.01 लैपटॉप लेनोवो कम्पनी

3.31 मोबाइल फोन

4.11 डेबिट कार्ड

5.52,000 रूपये नगद

6.11 सिम कार्ड

7.दो गाड़िया(सीजशुदा) टीयूीव-300 रंग काला रजि0 नं0 यूपी 14 डीएम 8103 व आई-20 रंग सफेद रजि0 नं0 यूपी 16 सीक्यू 6897

8.03 रजिस्टर

9.23 डायरी

1.15 फर्जी लोन अपरुवल प्रमाण पत्र /अग्रीमेन्ट/भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की रशीद की छायाप्रति मय चिटबन्दी

4-थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा 03 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, कब्जे से लूटे गये 02 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 21.02.2023 की रात्रि को थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा 03 शातिर लुटेरे 1.अजय पुत्र करण शर्मा निवासी कठेहरा मोड, शिव वाटिका, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर 2.उपदेश पुत्र बिजेन्द्र निवासी ग्राम कैमराला, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर व 3.आशीष पुत्र तेजवीर निवासी ग्राम भूडिया, थाना धौलाना, हापुड़ वर्तमान पता तुलसी विहार कॉलोनी, राज कुमार का मकान, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर को थाना क्षेत्र के ओमेक्स मॉल गोल चक्कर के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से लूटे गये 02 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल यूपी 16 क्यू 4828(सीजशुदा) बरामद की गई है।

घटना का विवरणः

अभियुक्त शातिर किस्म के मोबाइल फोन लुटेरे है, जो मोटरसाइकिल पर सवार होकर, राह चलते व्यक्तियों खासकर महिलाओं से मोबाइल फोन लूटकर भाग जाते है। अभियुक्तों द्वारा दिनांक 24/11/2022 की रात्रि 8.15 के आस-पास अल्फा-2 गेट नं0-5 के पास से बाइक पर सवार होकर पीछे से आकर, फोन पर बात करते समय वादिया का मोबाइल फ़ोन हाथ से लूट कर वादिया को धक्का देकर मौके से भाग गए थे उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना बीटा-2 पर मु0अ0सं0 759/2022 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया था एवं दिनांक 19.02.2023 शाम को 8.00 बजे के लगभग एक अन्य वादिया से गामा-2, गेट नं0-1 के पास से मोटरसाइकिल पर सवार होकर वादिया का मोबाइल फोन लूट कर भाग गये थे उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना बीटा-2 पर मु0अ0सं0 89/2023 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया था। उक्त मोबाइल फोन को सर्विलांस की सहायता से बरामद कर घटना में शामिल अभियुक्तों अजय, उपदेश, आशीष को ओमेक्स माल गोल चक्कर के पास से गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा भी अभियुक्त अजय द्वारा दिनांक 08/02/2019 को डाल्फिन स्कूल के पास से अपने साथी सह-अभियुक्त राहुल के साथ चोरी की मोटरसाइकिल से वादी के हाथ से मोबाइल फोन लूट की घटना को अंजाम दिया था।

अभियुक्तों का विवरणः

1.अजय पुत्र करण शर्मा निवासी कठेहरा मोड, शिव वाटिका, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

2.उपदेश पुत्र बिजेन्द्र निवासी ग्राम कैमराला, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

3.आशीष पुत्र तेजवीर निवासी ग्राम भूडिया, थाना धौलाना, हापुड़ वर्तमान पता तुलसी विहार कॉलोनी, राज कुमार का मकान, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरणः

1.मु0अ0सं0 89/2023 धारा 392/411 भादवि थाना बीटा-2 गौतमबुद्धनगर बनाम अजय, उपदेश, आशीष।

2.मु0अ0सं0 759/2022 धारा 392/411 भादवि थाना बीटा-2 गौतमबुद्धनगर बनाम अजय, उपदेश, आशीष।

3.मु0अ0सं0 172/2019 धारा 414 भादवि थाना बीटा-2 गौतमबुद्धनगर बनाम अजय।

4.मु0अ0सं0 114/2019 धारा 392/411 भादवि थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर बनाम अजय।

बरामदगी का विवरणः

1.एक मोबाइल फोन इनफिनींक्स कम्पनी सम्बन्धित मु0अ0सं0 89/2023 धारा 392 भादवि थाना बीटा-2।

2.एक मोबाइल फोन सैमसंग कम्पनी मोडल सम्बन्धित मु0अ0सं0 759/2022 धारा 392 भादवि थाना बीटा-2।

3.एक मोटरसाइकिल रजि नं0 यूपी 16 क्यू 4828 (घटना में प्रयुक्त) जिसको 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

5-थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा, प्लॉट दिलाने के नाम पर धोखाधडी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 22.02.2023 को थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा, प्लॉट दिलाने के नाम पर धोखाधडी करने वाला अभियुक्त परवेज पुत्र जमील निवासी बी-84, गामा-1, थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर को थाना क्षेत्र के मोजर बियर गोल चक्कर के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वादी के साथ 5 प्रतिशत के प्लॉट दिलाने के नाम पर धोखाधडी की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना सूरजपुर पर अभियोग संख्या-100/2023 धारा 406,420,120बी भादवि पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त का विवरणः

परवेज पुत्र जमील निवासी बी-84, गामा-1, थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः

मु0अ0सं0 100/2023 धारा 406/420/120 बी भादवि थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

6-थाना दनकौर पुलिस द्वारा, अवैध तंमचों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वीडियो वायरल करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 अवैध तंमचे मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद।

दिनांक 21.02.2023 को थाना दनकौर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान, अवैध तंमचों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वीडियो वायरल करने वाले 02 अभियुक्त 1.पिन्कु पुत्र ज्ञानेन्द्र 2.अमित पुत्र सतवीर निवासीगण ग्राम इमलियाका, थाना इकोटेक-1, गौतमबुद्धनगर को ग्राम बागपुर की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तंमचे मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुए है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया

प्लेटफार्म पर एक वीडियो अवैध असलाह के साथ वायरल हो रहा था जिसमें युवक अवैध तमंचे को हवा में लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। दिनांक 21.02.2023 की शाम में चेकिंग के दौरान थाना दनकौर पुलिस द्वारा उक्त विडियों में दिख रहे अभियुक्त 1.पिन्कु व 2.अमित को गिरफ्तार किया गया जिस सम्बन्ध में थाना दनकौर पर मु0अ0सं0 52/23 धारा 3/25 आयुध अधिनियम व मु0अ0सं0 53/23 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया।

अभियुक्तों का विवरणः

1.पिन्कु पुत्र ज्ञानेन्द्र निवासी ग्राम इमलियाका, थाना इकोटेक-1, गौतमबुद्धनगर

2.अमित पुत्र सतवीर निवासी ग्राम इमलियाका, थाना इकोटेक-1, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः

1.मु0अ0सं0 52/2023 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर।

2.मु0अ0सं0 53/2023 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरणः

02 अवैध तंमचे मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर

7-थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 22.02.2023 को थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 299/021 धारा 381/411/420/467/468/471/120बी भादवि में वांछित अभियुक्त पिंकू कुमार पुत्र विरेन्द्र मिश्रा निवासी ग्राम वासविघा, थाना मौलवी गंज, पौतहू, जिला औरंगाबाद, बिहार वर्तमान पता ग्राम छलैरा, राजू का मकान, थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर को थाना क्षेत्र के कन्टेनर डिपो तिलपता के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त जोकि वादी की कम्पनी में गार्ड की नौकरी करता था, के द्वारा दिनांक 28.04.2021 को अपने साथियों के साथ मिलकर मुकदमा उपरोक्त के वादी की कम्पनी से धोखाधडी कर मोबाइल की डिस्प्ले चोरी कर ली गयी थी। थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा उक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए पूर्व में 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

अभियुक्त का विवरणः

पिंकू कुमार पुत्र विरेन्द्र मिश्रा निवासी ग्राम वासविघा, थाना मौलवी गंज, पौतहू, जिला औरंगाबाद, बिहार वर्तमान पता ग्राम छलैरा, राजू का मकान, थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः

मु0अ0सं0 299/2021 धारा 381/411/420/467/468/471/120बी भादवि थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

#कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा, महिलाओं की सुरक्षा एवं महिला एवं बाल अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की जा रही है गहन कार्यवाही।

गौतमबुद्धनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के कारण मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 07 वर्ष के कठोर कारावास एवं 70,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड जमा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में गौतमबुद्धनगर पुलिस व अभियोजन इकाई की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मु0अ0सं0 438/2015 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना सेक्टर-49 में आज दिनांक 22/02/2023 को माननीय न्यायालय एडीजे/पोक्सो-2 द्वारा अभियुक्त राहुल शर्मा पुत्र होराम शर्मा निवासी ग्राम होशियारपुर, नोएडा को 07 वर्ष के कठोर कारावास एवं 70,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड जमा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त द्वारा पूर्व में कारागार में बिताई गई अवधि को इस दंडादेश में समायोजित किया जायेगा।

<u>कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा लगातार अभियुक्तों को सजा दिलायी जा रही है। कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की आगे भी प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।</u>